कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा

पत्रांक फा0स0–अ0सु0नि0–स्कूल 68/19

दिनांक सितम्बर, 16, 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स विद्या इन्टरनेशनल स्कूल।
राधा नगर, फाउण्ड्री नगर, आगरा।

विषयः– फाउण्ड्री नगर आगरा पर निर्मित भवन विद्या इन्टरनेशनल स्कूल हेतु अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं सम्बन्धी आख्या निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक के अनुसार अग्निशमन अधिकारी ताजनगरी, आगरा द्वारा आपके शैक्षिक भवन का अग्निशमन/जीवरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया था। अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या दिनांक 14-09-2019 का अवलोकन किया गया विवरण निम्न प्रकार है:–

1– भवन भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर निर्मित है, भवन तक अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँच सकता है।

2– कॉलेज प्रबन्धक द्वारा नोटरी शपथपत्र दिनांक 13-09-2019 प्रस्तुत कर स्कूल भवन का निर्माण 2005 से पूर्व का निर्मित होना बताया गया है, जिससे नियमतः पहुँचमार्ग, सेटबैक तथा निकास व्यवस्थाओं में छूट अनुमान्य है।

3– भवन 12 मीटर चौड़ाई के 05 स्टेयरकेस निर्मित है तथा प्रवेश निकास व्यवस्था संतोषजनक है।

4– भवन में 5000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक, सबमर्सेबुल पम्प एवं 5 किलोग्राम क्षमता के 15 अदद पोर्टेबुल अग्निशमन उपकरण (ए.बी.सी., फायर एक्सटिंग्यूशर) उपलब्ध है।

5– भवन में ज्वलनशील पदार्थों का रख–रखाव संतोषजनक दशा में पाया गया।

6– उपस्थित स्टाफ/कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के संचालन/रख–रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के आधार पर भवन हेतु आख्या निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है:–

1– स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शिड्यूल बनाया जाए तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में फायर उपकरण रखे जाये।

2– उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्था के अतिरिक्त एनबीसी के पार्ट–4(लाइफ एण्ड फायर सेफ्टी) मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था भवन के आकार, ऊँचाई एवं उसके उपयोग अनुसार स्थापित/पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण–पत्र लिया जाना वांछनीय होगा।

3– भवन की ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था को सदैव एनबीसी एवं विकास प्राधिकरण की भवन विनियमावली के मानकों के अनुरूप उपलब्ध रखना वांछनीय होगा।

4– स्कूल भवन के परिसर में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एनबीसी–2005 मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था कराया जाना अनिवार्य होगा।

5– निर्गत प्रमाण–पत्र एक वर्ष की अवधि से पूर्व प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराते हुए आख्या प्राप्त करना एवं कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

6– स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को कार्यशील दशा में उपलब्ध रखे जाने की पूर्ण जिम्मेदारी व्यवस्थापक की होगी।

उपरोक्तानुसार पालन न करने तथा अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील पाये जाने पर निर्गत आख्या स्वतः निरस्त मानी/समझी जाएगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपिः– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
अग्निशमन अधिकारी ताजनगरी को उनकी आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Manager
Vidhya International School
Radha Nagar Foundry Nagar
AGRA-06

INTERNATIONAL SCHOOL
AGRA